रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-ए.आर.-अ.-13092025-266138
CG-AR-E-13092025-266138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 2025/भाद्र 20, 1947
No. 628] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2025/BHADRA 20, 1947

राजीव गांधी विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

दोईमुख, 25 अगस्त, 2025

सं. RGU/ADM-38/ORD/10 (खंड-II).—शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने अपने पत्र फाइल सं.-35-4/2023-सीयू.आई दिनांक 21.08.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से सूचित किया है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति ने राजीवगांधी विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के विजिटर के रूप में, कुलपति की अधिवर्षिता आयु को 65 से 70 वर्ष करने के संबंध में राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (2007 की संख्या 8) के संविध 2(4) में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित करने में प्रसन्नता व्यक्त की है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:

संविध की संख्या	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन के बाद प्रावधान
संविध 2(4)	कुलपति, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से, जो भी पहले हो, पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।	कुलपति, सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से, जो भी पहले हो, पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

	परन्तु, उक्त पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर भी, वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता और वह अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता। परन्तु यह भी कि कुलाध्यक्ष किसी कुलपति को, उसकी अवधि समाप्त होने के पश्चात्, एक वर्ष से अनधिक की अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद पर बने रहने का निर्देश दे सकेगा।	परन्तु, पाँच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी, वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता और वह अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता। परन्तु यह भी कि कुलाध्यक्ष किसी कुलपति को, उसकी अवधि समाप्त होने के पश्चात्, एक वर्ष से अनधिक की अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद पर बने रहने का निर्देश दे सकेगा।

डॉ. एन. टी. रिकम, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./356/2025-26]

RAJIV GANDHI UNIVERSITY

(A CENTRAL UNIVERSITY)

NOTIFICATION

Doimukh, 25th August, 2025

No. RGU/ADM-38/ORD/10 (Vol-II).—The Ministry of Education, Department of Higher Education, Govt. of India vide its letter F. No. 35-4/2023-CU.I dated 21.08.2025 (copy enclosed), has conveyed that the Hon'ble President of India, in her capacity as the Visitor of Rajiv Gandhi University (Central University), has been pleased to approve the proposal for amendment in Statute 2(4) of Rajiv Gandhi University Act, 2006 (No. 8 of 2007) regarding the revision in superannuation age of the Vice-Chancellor from 65 to 70 years as mentioned in the table below:

No of Statute	Existing Provision	Provision after proposed amendment
Statute 2(4)	The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he attains the age of **sixty-five years**, whichever is earlier, and he shall not be eligible for re-appointment. Provided that, notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office. Provided further that the Visitor may direct any Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding total period of one year, as may be specified by him.	The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he attains the age of **seventy years**, whichever is earlier, and he shall not be eligible for re-appointment. Provided that, notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office. Provided further that the Visitor may direct any Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding total period of one year, as may be specified by him.

Dr. N.T. RIKAM, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./356/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.13 11:34:39 +05'30'